FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

फक्कू सिंह बनाम सुखदेव सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 11 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/२३२

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	प्रार्थी फक्कू सिंह पुत्र सावन सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 13 एस की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 112/51 के मुरब्बा नम्बर 34, 68/41 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।	
२ 6/२५	आज यह पत्रावली वादगत भूमि के संबध मे अप्रार्थी सुखदेव सिह की ओर से वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी मे ली गई। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र व वादपत्र मे कैवियट कर्ता अधिवक्ता को सुना गया। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC स्वीकार की जाकर मूलवाद प्रकरण स. 160/२०२५ अनवान सुखदेव सिह बनाम सावन सिह के साथ संलग्न किए जाने के आदेश दिए जाते है।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)